न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः प्रज्ञा केवलरमानी आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 67/2024 अपील (GCMS 2024/8)
पंजीयन दिनांक– 10.10.2024
निर्णय दिनांक– 06.08.2025

श्रीमति मणि पटेल उर्फ मणि देवी पिता स्व. श्री मगनलाल पटेल पत्नी डॉ. श्री कुरालाल डांगी, निवासी झूंथरी, तहसील खेरवाडा, जिला उदयपुर हाल निवासी 3/363 राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, गोवर्धन विलास, उदयपुर।

–अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती कुरी देवी पत्नी कुराजी पटेल, निवासी बायड़ी, तहसील खेरवाडा, जिला उदयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेरवाड़ा, जिला उदयपुर।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री महेश भट्ट	अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री लोकेश मेनारिया	अधिवक्ता रेस्पो. सं. 1
3. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक	अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 2

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार, खेरवाडा, जिला उदयपुर के प्रकरण संख्या 05/2024 दिनांक 04.09.2024

निर्णय

दिनांक 06.08.2025

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार, खेरवाडा, जिला उदयपुर के प्रकरण संख्या 05/2024 दिनांक 04.09.2024 के विरूद्ध दिनांक 18.09.2024 को इस न्यायालय में पेश की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीया मणी पटेल ग्राम झूँथरी, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर की निवासी होकर उनके पिता मगनलाल पिता अमरा पटेल है। दिनांक 16.11.2021 को अपीलार्थीया के पिता व इससे पहले उनकी माता श्रीमती नानी का दिनांक 02.09.2019 को निधन हो गया। अपीलार्थीया के पिता मगनलाल की सहखातेदारी भूमि ग्राम

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

झूँथरी में स्थित होकर कृषि भूमि और अन्य समस्त चल अचल सम्पत्ति अपीलार्थीया की माताजी और अपीलार्थीया को जरिये पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 09.11.2009 वसीयत कर दी। दिनांक 16.11.2021 को अपीलार्थीया के पिता का निधन होते ही उक्त वसीयत प्रभावशील हो गयी और अपीलार्थीया वसीयत व प्रस्तुत अपील अनुसार वर्णित समस्त चल अचल सम्पत्ति की एक मात्र स्वामी और आधिपत्यधारी हो गयी क्योंकि अपीलार्थीया की माताजी उसके पिताजी के पहले चल बसी थी। अपीलार्थीया ने अपनी उक्त वसीयत की गयी भूमि को अपने नाम पर दर्ज कराने के लिये तहसीलदार, खेरवाडा के समक्ष दिनांक 30.11.2021 को आवेदन पेश किया। तहसीलदार, खेरवाडा द्वारा संबंधित जांच रिपोर्ट, बयान, मौका पर्चा व गवाहों के बयान के आधार पर दिनांक 14.06.2022 को अपीलार्थीया के विरूद्ध निर्णय पारित किया गया। अपीलार्थीया उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर न्यायालय हाजा में प्रथम अपील पेश की जिसका प्रकरण संख्या 74/2022 होकर दिनांक 27.03.2023 को निर्णय पारित कर प्रकरण तहसीलदार, खेरवाड़ा को रिमाण्ड कर विधि सम्मत निर्णय पारित का आदेश दिया गया।

अपीलार्थीया ने माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में एक द्वितीय अपील पेश की जिसे दिनांक 07.02.2024 को विड्रॉ कर ली और रिमाण्ड आदेश की पालना में पुनः तहसीलदार, खेरवाड़ा के समक्ष दिनांक 27.02.2024 को उपस्थित हो गयी। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 11.03.2024 को प्रकरण नये सिरे से दर्ज कर कार्यवाही आरम्भ की गयी।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 04.09.2024 से निम्नानुसार आदेश पारित किया गयाः–

मगनलाल पिता अमराजी द्वारा दो विवाह किये पहली पत्नी का नाम चम्पा देवी व दूसरी पत्नी का नाम नानी देवी सभी का स्वर्गवास हो चुका है। पहली पत्नी की संतान कुरी देवी रेस्पोडेंट संख्या 01 व दूसरी पत्नी की संतान मणी देवी अपीलार्थीया है। मगनलाल के दो विवाह करने से दोनों अगल–अलग पत्नियों से दो संतान होना सिद्ध होता है। दिनांक 09.11.2009 को मगनलाल पिता अमराजी पटेल द्वारा वसीयतनामा पंजीयन करवाया जिसमें मणी देवी पत्नी के.एल.डांगी को उनकी समस्त चल–अचल सम्पत्ति का वारिस घोषित कर दस्तावेज पंजीयन करवाया गया; लेकिन सम्पत्तियां दो तरह की होती हैः एक, जो स्वयं कमायी जाती है अर्थात स्वअर्जित होती है एवं दूसरी, जो विरासत से मिलती है उसे पैतृक सम्पत्ति कहा जाता है। पैतृक सम्पत्ति पर समस्त उत्तराधिकारियों का समान रूप से हक रहता है। अतः प्रकरण में पैतृक सम्पत्ति पर कुरी देवी व मणी देवी का समान

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

अधिकार मानते हुये विरासतीय नामान्तरकरण किये जाने का आदेश दिनांक 04.09.2024 को दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीया द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री महेश भट्ट उपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री लोकेश मेनारिया उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम, विधि तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के पूर्णतः विपरीत है। वसीयतकर्ता की अन्तिम इच्छा का सम्मान किया जावे और उसी अनुसार आगे बढ़ा जावे। इसके विपरित अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयतकर्ता की इच्छा को दरकिनार कर मनमाना, अवैध और क्षेत्राधिकारविहीन निर्णय पारित किया गया तथा अपीलार्थी की बहस को अनदेखा किया गया। अधीनस्थ न्यायालय को न्यायालय हाजा द्वारा पारित रिमाण्ड आदेश दिनांक 27.03.2023 की परिधि से बाहर कदम रखकर कोई स्वतंत्र निर्णय पारित करने का क्षेत्राधिकार नहीं था। इसके उपरान्त इस संक्षिप्त कार्यवाही में हिन्दू विधि के स्वअर्जित और पैतृक सम्पत्ति के सिद्धान्त लागू करके भारी मनमानी की है। रेस्पोडेंट संख्या 1 का अपीलांट के पिता से कोई नाता रिश्ता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के सामने एक तरफ मगनलाल के नाम की खातेदारी राजस्व अभिलेख, अपीलांट के स्कूल के दस्तावेज एवं अन्य दस्तावेजो से अपीलांट के पिता का नाम मगनलाल दर्ज है। पंजीकृत वसीयतनामा में मगनलाल ने अपीलांट को अपनी पुत्री संबोधित किया है। ऐसे अकाट्य प्रलेख पेश करके अपीलांट ने अपने आपको मगनलाल की एकमात्र पुत्री होना साबित किया है। इसके विपरीत रेस्पोडेंट संख्या 1 ने ऐसा एक भी दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं किया जिसके आधार पर मगनलाल का प्रथम विवाह उसकी माता चम्पादेवी से होना, मगनलाल ओर तथाकथित चम्पा के नुत्फे से रेस्पोडेंट संख्या 1 पैदा होना, मगनलाल की दो पुत्रियां होना और रेस्पोडेंट संख्या 1 मगनलाल की पुत्री होना साबित होता हो। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट संख्या 01 का आवेदन लेकर उस पर विचार किया जो कि उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है और अधिकार न होते हुए भी उसके पक्ष में वांछित राहत प्रदान कर दी। रेस्पोडेंट संख्या 01 जैसी अनजान, अपरिचित व छद्म महिला को अपनी बहन मान ले और उसके साथ वसीयत में मिली सम्पत्ति

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

बॉट ले, यह घोर अवैधानिकता के साथ कानून व नियमों के अनदेखी है। मगनलालजी ने अपनी वसीयत में जिसे अपनी पुत्री माना है उस पुत्री को ऐसी कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ेगा ऐसा कानून में कहीं प्रावधित नहीं है। तहसीलदार को धारा 135(2) के तहत भू अभिलेख अधिकारी की शक्तियां प्राप्त है और जब वे दो पक्षों को सुनकर कोई निर्णय प्रदान करते है तो ऐसा निर्णय भू–अभिलेख अधिकारी की हैसियत से पारित किया जाना माना जाता है। जब ऐसी अधिकारिता का उपयोग तहसीलदार द्वारा किया जाता है तो उनके द्वारा पारित निर्णय की प्रथम अपील निदेशक, भू अभिलेख विभाग यानि इस न्यायालय को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 एफ में सुनने का क्षेत्राधिकार है। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार किया जाने बाबत निवेदन किया गया। साथ ही यह भी बतलाया कि श्रीमती मणि पिता मगनलाल की ग्राम झूँथरी, तहसील खेरवाड़ा में अवस्थित 6 बीघा स्वअर्जित भूमि भी विद्यमान है जो उनके पिता को जरिए आवंटन प्राप्त हुई थी जिसको उन्हें वसीयत करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था, उसे भी अपीलाधीन आदेश से शामलाती बना दिया गया है, जो सर्वथा अवैधानिक होने से अस्वीकार्य है।

अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 द्वारा अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, खेरवाडा, जिला उदयपुर द्वारा दिनांक 04.09.2024 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील अपीलांट खारिज किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, खेरवाडा, जिला उदयपुर द्वारा दिनांक 04.09.2024 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

हमने विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। तद्नुसारः

- अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 कुरी देवी को मृत मगनलाल की पुत्री होने से इन्कार किया है। मगनलाल ने भी अपनी वसीयत में कुरी देवी का कोई जिक्र नहीं किया है, परन्तु तहसीलदार द्वारा मगनलाल के वारिसों की जांच की गई और जांच में यह पाया कि मगनलाल की पहली पत्नी चम्पा देवी से पुत्री कुरी देवी है तथा दूसरी पत्नी नानी देवी से अपीलांट मणी देवी है। इस प्रकार मगनलाल की दो पत्नी होकर दोनों से वारिस के रूप में एक–एक पुत्री जीवित है।

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

- *मगनलाल द्वारा उनके नाम दर्ज सम्पत्ति को अपनी घोषित पत्नी चम्पा देवी और इससे उत्पन्न पुत्री मणी देवी के नाम पंजीकृत वसीयत करके अपनी कथित पहली पत्नि की पुत्री कुरी देवी को विरासत से वंचित रखा गया। यद्यपि नामान्तरकरण की संक्षिप्त प्रक्रिया में किसी के भी अधिकारों का निर्धारण नहीं होता है, परन्तु प्रथम दृष्टया यह देखना न्यायोचित है कि वसीयतकर्ता को धारित सम्पत्ति की वसीयत करने का अधिकार भी था अथवा नहीं। इस प्रकरण में मगनलाल की भूमि के खातों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उसके नाम पैतृक सम्पत्ति भी विद्यमान है। कानूनन पैतृक सम्पत्ति को किसी एक के नाम वसीयत करने का वैधानिक अधिकार नहीं होता है, खातेदार सिर्फ अपनी स्वअर्जित भूमि की वसीयत ही निष्पादित कर सकता है।*

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अधीनस्थ न्यायालय के विरासत संबंधी मत से सहमत है। चूंकि अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों अनुसार मगनलाल के नाम स्वअर्जित एवं पैतृक दोनों प्रकार भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है, अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए तहसीलदार, खेरवाड़ा को प्रकरण प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार मृतक मगनलाल की भूमि की बाद जांच, स्वअर्जित कृषि भूमि को वसीयतग्रहीता अपीलार्थिया के नाम तथा पैतृक कृषि भूमि को संयुक्त रूप से अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम नामान्तरकरण खोलने की कार्यवाही करे।

(प्रज्ञा केवलरमानी)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

निर्णय आज दिनांक 06.08.2025 को सुनाया गया।
मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(प्रज्ञा केवलरमानी)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)